

श्रीमान जी,

पटवारी रिपोर्ट

ग्राम जगापुरा के खाता सं. 28 में दर्ज नामा सं. 344 दि. 10/12/25 के मकू पुत्र
किशना 1/4 दर्ज किया गया। जबकि जमाबंदी में मकू पुत्र किशना 1/4 पुत्र में ही
दर्ज हो रहा है उक्तदुसार एक ही कथानक की दोरी प्रविष्टि का अंकन दर्ज हो अतः
उक्त दोरी प्रविष्टि को एक कर के मकू पुत्र किशना 1/4 7 दुरुस्त किया जाना उचित
होगा।

(Signature)

भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट

श्रीमान जी,

मुताबिक हल्का पटवारी रिपोर्ट व अमल दरमाद के
दुरुस्ती किया जाना उचित है।

(Signature)
I.L.R. 6/216

तहसीलदार की रिपोर्ट

पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू अभिलेख की जाँच के आधार
पर दुरुस्ती किये जाने की अनुमति भी जाती है।

(Signature)
शिविर प्रभारी
तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
538

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक/995

दिनांक:- 6-10-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन
किया गया है एव इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू अभिलेख
निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंभा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की
धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जगापुरा तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2073-2076
के खाता संख्या 88/8.3 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया
जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
	मकू पुत्र किशना 1/144 दि	खसरा 4	1.18	मकू पुत्र किशना 1/144 जवाबदार	खसरा 4	1.18

क्रमांक:- 5778-79

दिनांक:- 6-10-25

1 तहसीलदार नसीराबाद का पालन
2 शिवाजी पता नसीराबाद



प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर